5/2026/ए-2-आई/1365672/2026

प्रेषक,

दीपक कुमार ,

अपर मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (लेखा) अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 18 जून, 2026

विषय:- सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से संबंधित वित्तीय प्रबन्धन का कड़ाई से अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्राय: संज्ञान में आ रहा है कि निर्माण परियोजनाओ में वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने में संदर्भित शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17 (4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुचारू ढंग से नहीं किये जाने के कारण विचलन की स्थिति उत्पन्न हो रही है। उक्त शासनादेश में वित्तीय स्वीकृति जारी करने के सन्दर्भ में निर्देशित किया गया है कि किसी परियोजना में वित्तीय स्वीकृति की प्रथम किश्ते मूल्यांकित लागत पर जारी की जाय, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को टेंडर कॉस्ट के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाय तथा परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जाय ताकि कार्यदायी संस्थाओं को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो। इसके लिए कार्यदायी संस्था द्वारा परियोजना की मूल्यांकित लागत एवं टेंडर कॉस्ट की सूचना ससमय प्रशासकीय विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी। कतिपय प्रकरणों में यह संज्ञान में आया है कि वित्तीय स्वीकृति जारी करने में शासनादेश दिनांक 17 मई, 2023 में दी गई व्यवस्था का अनुपालन नहीं करने के कारण परियोजना में अतिरिक्त Cash Outflow की स्थिति बन जा रही है। यह उचित नहीं है। अत: परियोजना का मूल्यांकित लागत एवं अवशेष कार्यो हेतु मूल्यांकित टेण्डर कास्ट को ध्यान में रखते हुये नियमानुसार किश्ते जारी की जाय और उक्त शासनादेश में दी गयी व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

भवदीय,

दीपक कुमार

अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- प्रधान महालोखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

3- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

4- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, प्रदेश शासन, लखनऊ।

5- आयुक्त, ओद्योगिक विकास विभाग/समाज कल्याण , उत्तर प्रदेश शासन।

6- प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश

7- प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

8- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

9- निदेशक कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।

10- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

11- वित्त नियंत्रक/मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, लोक निर्माण विभाग/सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग/ ग्रामीण अभियंत्रण विभाग/ ग्रामीण जलापूर्ति एवं नमामि गंगे विभाग/ नगर विकास विभाग/लघु सिंचाई विभाग/ भूगर्भ जल विभाग, उ0 प्र0।

12- समस्त मण्डलायुक्त /जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

13- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ।

14- सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,

महेन्द्र कुमार भट्ट

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।